न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर
बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 26/2013/अपील

1. डालूराम
2. पेमाराम
3. हणमान

पुत्रगण टोडाराम जाति कुमावत निवासीगण कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

—अपीलांट्स

बनाम

1. रामू पुत्र ईशरा
2. भूरा पुत्र नारायण

समस्त जाति कुमावत निवासीगण कुली तह0 दांतारामगढ जिला सीकर

3. रा. ग्रा.बैंक शाखा खाचरियावास तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. एस.बी.बी.जे. शाखा दांतारामगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
5. सरपंच ग्रा0पंचायत कुली पं.सं. दांतारामगढ जिला सीकर
6. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—रेस्पोंडेंट्स

अपील विरूद्ध ना.करण सं. 41 दिनांक द्वारा ग्राम पंचायत, ~~पचार~~ कुली &
दिनांक 20.09.2001 प.सं. दांतारामगढ जिला सीकर

उपस्थिति— 1. श्री अनिल शर्मा वकील अपीलांट्स की ओर से

निर्णय दिनांक— 14.07.2014

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि विवादित भूमि के खसरा नं. 109, 110, 110/269, 111 किता 4 कुल रकबा 15.14 है0 वाके ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जिसमें अपीलांट्स व रेस्पो. सं. 1 का 1/3, 1/3 हि. व रेस्पो. सं. 2 का 1/3 हिस्सा है। अपीलांट्स को दिनांक 13.08.01 को विक्रय पत्र सं. 11493 विक्रय राशि 2,86,300 रूपये प्राप्त कर ख.नं. 110 रकबा 12.20 है0 में से रेस्पो. सं. 1 रामू पुत्र ईशरा ने अपने 1/3 हिस्से में से 5/8 हि. यानि संपूर्ण में से 5/24 हिस्से की 2.54 है. भूमि का बेचान कर दिया और खरीद के समय से अपीलांट्स अपील खरीद शुदा कृषि भूमि को अपने उपयोग उपभोग में लेकर अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे है। उक्त विक्रय पत्र की आड़ में प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी चालाकी व होशियारी से गैर कानूनी तरीके से अवैध ना.करण भरवाया जाकर तस्दीक करवा दिया। उक्त चुनौतीग्रस्त ना.करण सं.

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

41 दिनांक 20.9.2001 विधि विरूद्ध एवं कानून विरूद्ध है। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जो कि रेस्पो. सं. 1 ने अपीलांट्स के पक्ष में तस्दीक करवाया गया था उक्त विक्रय पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत ने ख.नं. 110 रकबा 12.20 है. में से रेस्पो. सं. 1 को 1/3 हिस्से के 5/8 हिस्से का यानि 2.54 है. भूमि का रिकार्ड में ना.करण नहीं चढाया है। अपीलांट्स का खसरा नं. 109, 110, 110/269, 111 किता 4 कुल रकबा 15.14 है0 में से 1/3 हि. है तथा ख.नं. 110 रकबा 12.20 है0 में से रेस्पो. सं. 1 के 1/3 हिस्से में 5/8 हि. यानि संपूर्ण में से 5/24 हि0 की 2.54 है. भूमि खरीदशुदा है इस प्रकार कुल 5.05 + 2.54 यानि 7.59 है0 भूमि होनी चाहिए जबकि जमाबंदी रेकार्ड के अनुसार 6.096 है0 ही दर्ज है। ग्राम पंचायत कुली ने उक्त ना.करण बाबत न तो दिनांक 20.09.2001 को प्रस्ताव सं. 5(1) लेकर पारित किया और न ही उक्त प्रस्ताव तथा ना.करण पर ग्राम पंचायत की मुद्रा पर अपने हस्ताक्षर किये। ग्राम पंचायत, कुली द्वारा बिना रिकार्ड एवं मौके की जांच किये ही राजस्व रिकार्ड से विपरीत जाकर उक्त चुनौतीग्रस्त ना.कण विधि विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत भरा गया है जो कि प्रथमदृष्टया ही निरस्तनीय है। उक्त विधि विरूद्ध भरे गये ना.करण की आड़ में अपने हक हिस्से से अधिक आराजी पर काबिज होकर किसी अन्य को उक्त आराजी रहन, बेचान एवं हस्तांतरण करने एवं अपीलांट्स को उनके हक हिस्से में आई आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी हक अधिकार प्राप्त नहीं है। चुनौतीग्रस्त ना.करण की अपीलांट्स को सर्वप्रथम जानकारी 15.06.2013 को रेस्पो. सं. 1 द्वारा उनके सांपतिक अधिकारों को चुनौती देते हुए कहा कि मैंने आपको बेचान की गई आराजी का सही ना.करण नहीं भरवाया है अब मैं इसे अन्य को बेचान करूंगा तब तहसील हाजा में नकल प्राप्त करने पर हुई। जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी क्षमा योग्य है। जिसके लिए अलग से आवेदन पेश किया जा रहा है एवं जानकारी में अपील सावधि अंदर मियाद प्रस्तुत है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर चुनौतीग्रस्त ना.करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 बतस्दीक ग्राम पंचायत, कुली को निरस्त फरमाया जाकर सही ना.करण पुनः राजस्व रिकार्ड के आधार पर भरवाया जाना प्रार्थनीय है। अपील के साथ नकल जमाबंदी, विक्रय पत्र की फोटो प्रति, ना.करण की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है।

2. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं. 1 ता 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़

3. वकील अपीलांटस के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट्स ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. सं. 1 से विवादित आराजी ख. नं. 110 रकबा 12.20 है0 हि. 1/3 हि. में से 5/8 हि. यानि संपूर्ण में से 5/24 हि. यानि 2.54 है0 भूमि क्रय की गई है। उक्त क्रय शुदा भूमि का ना.करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 के अनुसार जमाबंदी में अमल दरामद नहीं हुआ है। अपीलांट्स का खसरा नं. 109, 110, 110/269, 111 किता 4 कुल रकबा 15.14 है0 में से 1/3 हि. है तथा ख.नं. 110 रकबा 12.20 है0 में से रेस्पो. सं. 1 के 1/3 हिस्से में 5/8 हि. यानि संपूर्ण में से 5/24 हि0 की 2.54 है. भूमि खरीदशुदा है इस प्रकार कुल 5.05 + 2.54 यानि 7.59 है0 भूमि होनी चाहिए जबकि जमाबंदी रेकार्ड के अनुसार 6.096 है0 ही दर्ज हो चुकी है। इसलिए सही ना.करण के अभाव में ना.करण सं. 41 दिनांक 20.9.2001 खारिज होने योग्य है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर ना. करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 ग्राम पंचायत, कुली खारिज फरमाया जाकर प्रकरण पुनः दर्ज हेतु तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड फरमाया जावें।

4. हमने अपीलांट्स के योग्य अभिभाषक की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम करणीपुरा प.मं. कुली की जमाबंदी संवत् 2068–71, विवादित ना.करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 एवं विक्रय पत्र दिनांक 13.08.01 का अवलोकन किया गया। विक्रय पत्र दिनांक 13.08.2001 के द्वारा खातेदार रामू पुत्र ईशरा बहक डालूराम, पेमाराम, हनुमानप्रसाद पुत्रगण टोडाराम जाति कुमावत नि. करणीपुरा को ग्राम करणीपरा की भूमि ख. नं. 110 रकबा 12.20 है0 में से हि. 1/3 मे से 5/8 हि. यानि संपूर्ण में से 5/24 हि. की 2.54 है. भूमि का बेचान किया गया। उक्त बेचान के आधार पर ना.करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 के द्वारा पटवारी हल्का, कुली द्वारा द्वारा कालम सं. 9 में डालूराम, पेमाराम, हनुमानप्रसाद पुत्रगण टोडाराम जाति कुम्हार निवासी करणीपुरा हि. 5/24 रामू पुत्र ईशरा हि. 19/24 दर हि. 1/3 दर्ज किया गया जबकि अपीलांट्स द्वारा रेस्पो. सं. 1 से उनके हिस्से 1/3 में से 5/8 हि. यानि संपूण में से 5/24 हि. क्रय किया गया था। इस प्रकार उक्त ना.करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 ग्राम पंचायत कुली निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त विवरण के अनुसार ना.करण सं. 41 दिनांक 20.09.2001 बतस्दीक ग्राम पंचायत, कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि विक्रय पत्र

दिनांक 13.08.2001 के आधार पर नियमानुसार ना.करण पुनः भरवाकर तस्दीक करें।

5. यह आदेश आज दिनांक 14.07.2014 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ